अपराध नियन्त्रण हेतु रणनीति

- सीमावर्ती राज्यों के पुलिस अधिकारियो के साथ अन्तर्राज्यीय अपराधियों की धरपकड़ एवं अपराध समन्यवय हेतु समय समय पर **Coordination/Crime Review meeting** ।
- सीमावर्ती थानों का सयुंक्त गश्त/मिलान गश्त करना।
- बैकों में होने वाले लूट/डकैती की घटनाओं की रोकथाम हेतु बैंक प्रबन्धकों एवं अधिकारियों के साथ पुलिस अधिकारियों द्वारा बैठकों का आयोजन कर उन्हें सर्तकता बरतने हेतु जागरूक करना।
- विवेचनाओं में गुणात्मक सुधार लाये जाने के उद्देश्य से वैज्ञानिक विधियों से विवेचना करने हेतु सभी विवेचकों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण ।
- अपराधों पर नियन्त्रण हेतु झुग्गी झोपडियों में रहने वाले, ठेली, फड लगा कर सामान बेचने वाले, फेरी लगाने वाले, घरेलू नौकरों, किरायेदारों एवं बाजार/मौहल्लों के चौकीदारों आदि बाहरी व संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन कराना। राज्य पुलिस द्वारा इस वर्ष अब तक उक्त श्रेणी के 34095 संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन कराया गया।
- बाहरी राज्यों से आये फाइनैन्स कम्पनी/शिक्षण संस्थानों एवं शिक्षण हेतु आये छात्रों आदि को चिन्हित कर सत्यापन।
- पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा अपराधों का निकटतम पर्यवेक्षण।
- जघन्य व शातिर अपराधियों की धरपकड़ हेतु राज्य स्तर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व मे एस0टी0एफ0 एवं जनपद स्तर पर एस0ओ0जी0 का गठन।
- गांवों तथा कस्बों में बीट डियूटी को पुर्नजागृत एवं कियाशील करना।
- प्रत्येक थाना/चौकी क्षेत्र में निष्क्रिय पड़ी ग्राम/मौहल्ला सुरक्षा समितियों का पुर्नगठन।
- बड़े बड़े शहरों/कस्बों में यातायात संबंधी अपराधों की रोकथाम हेतु यातायात संबंधी अभियान चला कर अनाधिकृत रूप से चल रहे वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही करना।
- नाबालिक लड़कियों के अपहरण सम्बन्धी मामलों में तत्काल अपहृत लड़की की बरामदगी व सम्बन्धित अपहृतों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करना।
- यातायात नियमों का उल्लंधन करने वालों के बिरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत अभियान चला कर कार्यवाही।
- दहेज अपराध अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों के पंजीकृत करने से पूर्व उनकी सत्यता का परीक्षण करने हेतु पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में **Reconciliation committee** की **meeting.**